

62/14

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-61/2014

चुन्नीलाल पुत्र स्व० हुंगाराम जाति नाई निवासी केहरपुरा खुर्द तहसील चिडावा जिला हुन्डुनु ।

---अपीलान्ट---

---बनाम---

- 1- भगवती स्त्री § स्व० मालीराम जाति नाई निवासी केहरपुरा खुर्द
- 2- सिलोचना पुत्री § तहसील चिडावा जिला हुन्डुनु ।
- 3- तहसीलदार चिडावा जिला हुन्डुनु ।
- 4- दलवीरसिंह पुत्र रामकिशन जाति नाई निवासी खानपुर खुर्द तहसील मातनहेल जिला झज्जर § हरियाणा §
- 5- प्रेमसिंह पुत्र रणधीरसिंह जाति जाट निवासी झोजकला तहसील घरखी दादरी जिला भिवानी § हरियाणा §
- 6- प्रवीणकुमार पुत्र सज्जनसिंह जाति जाट निवासी भामरवासी तहसील चिडावा जिला हुन्डुनु ।

---रेस्पोंडेन्ट्स---

अपील विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री

दिनांक 26-7-2007 द्वारा उप

खण्ड अधिकारी चिडावा ।

---0---

उपस्थिति-

- 1-श्री राजेश पुनिया एडवोकेट- अपीलान्ट
- 2-श्री द्वारकाप्रसाद शर्मा एडवोकेट- रेस्पोंडेन्ट
- 3-श्री परवेशकुमार एडवोकेट- रेस्पोंडेन्ट

निर्णय दिनांक- 3.4.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर



सक्षिप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोंडेंट संख्या-1 व 2 का पति/पिता मालीराम ने अदालत मातहत में दावा बाबत घोषणार्थ विभाजन का पेशा कर निवेदन किया कि ग्राम केहरपुरा खुर्द की सरहद में आराजी खसरा नं० 115 रकबा 1.75 हैक्टर, ख०नं० 118 रकबा 1.86 हैक्टर, ख०नं० 225 रकबा 0.04 हैक्टर, ख०नं० 237 रकबा 0.56 हैक्टर, ख०नं० 200 रकबा 1.12 हैक्टर, ख०नं० 404 रकबा 0.13 हैक्टर, ख०नं० 405 रकबा 0.60 हैक्टर कुल कित्ता-7 रकबा 5.86 हैक्टर की खातेदारी वादी मालीराम व प्रतिवादी चुन्नीलाल के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। जिसको करीब 30 वर्षों से दो हिस्सों में बांट कर काश्त करते आ रहे हैं। जिसमें बंटवारे के अनुसार वादी के ख०नं० 115 रकबा 1.75 हैक्टर, ख०नं० 225 रकबा 0.04 हैक्टर, ख०नं० 240 रकबा 1.12 हैक्टर कुल कित्ता-3 रकबा 2.91 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख-1 चुन्नीलाल के ख०नं० 118 रकबा 1.66 हैक्टर, ख०नं० 237 रकबा 0.56 हैक्टर, ख०नं० 404 रकबा 0.13 हैक्टर, ख०नं० 405 रकबा 0.60 हैक्टर कुल कित्ता-4 रकबा 2.95 हैक्टर हिस्से में आई है। वादी अपने हिस्से में आई आराजी ख०नं० 240 में आबादी है जिस पर बिना रोक टोक के निवास करता आ रहा है। वादी ने अपने हिस्से में आई आराजी को काफी पैसा खर्च कर विकसीत किया है। प्रतिवादी इस आराजी को बंटवारा कराने के लिये कहा तो मना कर दिया। जिस पर यह दावा पेश किया गया। अदालत मातहत ने दावा स्वीकार कर डिक्री कर दिया। जिससे धुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील अपील निम्न आधारों पर पेश की है।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है। तहसीलदार चिडावा ने आदेशों की पालना न कर विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों की मौजूदगी में नहीं बनाये जबकि विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों की मौजूदगी में बनाये जाने के निर्देश थे। विभाजन प्रस्ताव में ख०नं० 405 रकबा 0.60 हैक्टर अपीलांट के हिस्से में दर्जित की गई है जिसमें नीचे लिख दिया ख०नं० 405 रकबा 0.60 हैक्टर पर कब्जा कुरझाराम मदन व सुरेशा का है। वादी मालीराम ने अदालत मातहत में एक गलत प्रार्थना पत्र पेश कर अपनी मर्जी के अनुसार डिक्री प्राप्त



अदालत मातहत ने विभाजन प्रस्ताव के आधार पर ही अन्तिम डिक्री पारित कर दी जो विभाजन प्रस्ताव से हटकर है। अर्थात् विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री पारित नहीं की है। अदालत मातहत ने अन्तिम डिक्री में लिखा है। विभाजन प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा जबकि डिक्री विभाजन प्रस्ताव के अनुसार नहीं है। चुन्नीलाल ने उक्त आराजी को रेस्पोंडेंट सं०-4 व 5 को ख०नं० 115 रकबा 1.47 हैक्टर का बैचान कर दिया। अपीलान्ट को निर्णय के समय सुनवाई का कोई अवसर नहीं मिला जिस पर निर्णय की जानकारी नहीं हुई। अपीलान्ट दिनांक 13-9-2014 को अपने हिस्से की आराजी पर श्रृण लेने के लिये पटवारी हल्का से चालू जमाबन्दी की नकल ली तब पटवारी ने इस भूमि के बंटवारा बाबत बताया तब निर्णय की जानकारी होने पर दिनांक 15-9-14 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर नकल 16-9-14 को मिली जिस पर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का आदेश एवं प्राथमिक डिक्री एवं अन्तिम डिक्री को निरस्त किया।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई।


बहस बगौर समाहत की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सं०-2062 से 2065 में आराजी ख०नं० 115 रकबा 1.75 हैक्टर ख०नं० 118 रकबा 1.66 हैक्टर कुल किता-2 रकबा 3.41 हैक्टर की खातेदारी चुन्नीलाल, मालीराम पि० डूंगाराम जाति नाई के नाम दर्ज है। ख०नं० 225, 237, 240, 404, 405 कुल किता-5 रकबा 2.45 हैक्टर की खातेदारी मालीराम पु० डूंगाराम हि० 1/2 चुन्नीलाल पु० डूंगाराम हि० 1/2 के नाम दर्ज है। बंटवारा प्रस्ताव में 2.95 हैक्टर भूमि अपीलान्ट चुन्नीलाल को तथा 2.91 हैक्टर मालीराम रेस्पोंडेंट संख्या-1 व 2 के पति/पिता को दी गई है। जमाबन्दी में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन किया गया है। अपीलान्ट ने विभाजन में कोई



ट्रुटि न बताकर केवल यह कह दिया कि विभाजन प्रस्ताव में नीचे नोट लगाया है जिसमें ख0नं0 405 रकबा 0.60 हैक्टर भूमि पर हमारे ताऊ के पुत्र कुरडाराम, मदन सुरेश पि0 प्रहलाद काबिज है। उक्त खसरा नम्बर को इनके ही कब्जा का बताया है। दावे में इस बाबत कोई सहायता बेदखली की नहीं चाही गई है। दावा बंटवारा का है जिसमें 1/2, 1/2 के अनुसार बंटवारा किया गया है। अपीलान्ट का यह कथन कि उन्हें सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। यह भी मानने योग्य नहीं है क्योंकि चुन्नीलाल के नोटिस स्वयं पर तामिल हुये हैं। अगर फर्जी तामिल है तो इस बाबत कोई मुकदमा दर्ज करना भी सामने नहीं आया है। मौके पर विभाजन प्रस्ताव आने के बाद प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी की है इस प्रकार अदालत मातहत के निर्णय में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी चिडावा का निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 16-6-2007 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 26-7-2007 यथावत रखा जाता है। दोनो अपीलों का निर्णय एक साथ किया गया है। अतः अपील संख्या-62/2014 में निर्णय की एक प्रति संलग्न की जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 3.4.2018 को सुनाया गया।


अमरलाल मेहरडा
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर